मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आ दे श //

भोपाल,दिनांक **19.09.2017**

क्रमांक एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार, राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश वित्त सेवा के निम्न अधिकारी को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष कॉलम (3) में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
1	2	3	4
01.	श्री दिलीप वर्मा संयुक्त संचालक (वित्त) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,इंदौर	वित्त नियंत्रक देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर	स्थानीय व्यवस्था

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल दिनांक **19.09.2017**

पृष्ठांकन एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार,
प्रतिलिपि :-

01. माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
02. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर,
03. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
04. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त के निज सहायक,
05. आयुक्त कोष एवं लेखा,म.प्र.भोपाल,
06. कुलपति,देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय,इंदौर,
07. आयुक्त,उच्च शिक्षा,संचालनालय,भोपाल,
08. सचिव,मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,इंदौर,
09. महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर,
10. संभागीय संयुक्त संचालक,कोष एवं लेखा,इंदौर,
11. कोषालय अधिकारी,इंदौर,
12. संबंधित अधिकारीगण----------

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 18/9/2017

क्रमांक एफ–1(सी)/30/2016/ई/चार, श्री समर सिंह परमार, उप संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा उज्जैन का स्थानांतरण राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ–5(सी)/3/2016/ई/चार, दिनांक 17.10.2016 द्वारा संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा (प्रकोष्ठ) भोपाल किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में श्री परमार द्वारा याचिका क्रमांक 7193/2016 दायर कर स्थानांतरण आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में दिनांक 24.10.2016 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया :–

"Learned counsel appeaing for the petitioner submits that by the impugned order dated 17-10-2016 the petitioner has been transferred with the rider that the salary will be drawn from the post of Joint Director. He futher submits that the transfer is during the ban period and the petitioner was posted in the present place only in the month of May 2015. He has also submitted that since against the order of suspension the petitioner had approached this coirt and stay was granted by this Court, therefore, the impugned order has been malafidely passed to shift the petitioner from the present place. He has also submitted that the order has been passed to accommodate the respondent No-4 who by way of local adjustment has been posted in the place of the petitioner vide order dated 17-10-2016. He further submits that the petitioner's father has recently died on 27-9-2016 and the petitioner's mother is suffering from various ailments, therefore, the petitioner may be accommodated for a brief period in the present place.

Learned counsel for the state fairly submits that if the petitioner files a representation, then the same will be considered expeditiously.

In these circumstances, without adverting to the merits of the matter, the writ petition is disposed of by permitting the petitioner to file an appropriate representation before the concerned authority within a period of one week from today. If the representation is filed by the petitioner, it will be considered by the concerned authority within a period of four weeks from the date on its receipt.

Respondents are restrained from taking any coercive action against the petitioner in pursuance to the inpugned order for aperiod of six weeks."

–2–

2. उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री समरसिंह परमार द्वारा म.प्र.शासन, वित्त विभाग में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपितु श्री समरसिंह परमार की माताजी द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी को प्रेषित आवेदन दिनांक 07.12.2016 के साथ उनके उल्लेखित आवेदन दिनांक 30.10.2016 की प्रति संलग्न की गई है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के यहां यह आवेदन दिनांक 09.12.2016 को प्राप्त हुआ तथा सचिव, वित्त के यहां दिनांक 13.12.2016 को प्राप्त होकर वित्त विभाग में पंजी क्रमांक 3070/2016/ई दिनांक 14.12.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विचार में लिया गया। इसी के साथ संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के इन्दौर प्रवास के दौरान दिनांक 14.12.2016 को श्री समरसिंह परमार का आवेदन दिनांक 30.10.2016 की फोटोकापी पुनः उन्हें श्री समर सिंह द्वारा उपलब्ध कराई गई, जो सचिव वित्त विभाग के यहां आवक रजिस्टर के क्रमांक 2649 पर दिनांक 15.12.2016 को दर्ज होना पाया गया। स्पष्ट है कि श्री परमार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार एक सप्ताह में आवेदन नहीं दिया गया।

3. श्री समरसिंह परमार को उक्त अभ्यावेदन के लिए सुनवाई का अवसर दिनांक 19.12.2016 को दिया गया। सुनवाई हेतु श्री समरसिंह परमार उपस्थित हुए। श्री समरसिंह परमार की सुनवाई संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं वित्त विभाग के अनुभाग अधिकारी के समक्ष में की गई।

4. सुनवाई के दौरान श्री समर सिंह परमार का कथन था कि उनकी वृद्ध माता वर्तमान में मधुमेह एवं आर्थोराईटिस से पीड़ित है। माताजी इन्दौर में निवासरत है तथा उनकी देखभाल उनकी बहन, जो धार के एक कॉलेज में प्रोफेसर है, द्वारा इन्दौर में रात्रि विश्राम के साथ की जा रही है। अतः इन्दौर के समीपस्थ जिला उज्जैन में उनका पदस्थ रहना नितान्त आवश्यक है, ताकि वे भी अपनी माता की देखभाल अच्छे ढंग से कर सके। सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया गया कि शासनादेश दिनांक 25.02.2016 में उन्हें आगामी आदेश तक उज्जैन में ही पदस्थ किया गया है तथा आदेश में यह उल्लेख है कि अंतिम आदेश माननीय न्यायालय के अध्यधीन रहेगा। इस आधार पर श्री समर सिंह परमार द्वारा उनकी पदस्थापना को उज्जैन यथावत् रखते हुए स्थानांतरण आदेश दिनांक 17.10.2016 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. माननीय न्यायालय व्दारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 के अनुसार सुनवाई कर श्री परमार के आवेदन एवं संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा व्दारा तत्समय उपलब्ध कराये गये अभिलेखों तथा सुनवाई के दौरान श्री समर सिंह परमार के कथन अनुसार उनकी माता इंदौर में निवासरत है तथा उनकी देखभाल उनके बहिन व्दारा की जा रही है। चूँकि उनकी पदस्थापना प्रशासनिक आधार पर भोपाल में की गई थी। अतः उन्हें उज्जैन पदस्थ किये जाने हेतु कोई पर्याप्त कारण परिलक्षित न होने से समग्र विचारोपरांत उज्जैन पदस्थी किये जाने हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 30.10.2016 को अमान्य कर नस्तीबद्ध किया गया था।

6/ श्री समर सिंह परमार व्दारा उक्त आदेश दिनांक 26.12.2016 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में रिट अपील कमांक 76/2017 दायर की। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय व्दारा दिनांक 28.2.2017 को निम्नानुसार आदेश पारित किये गये–

Considering the aforesaid, we direct the Competent Authority of respondent No.1 and 2 to rehear the appellant and decide the representation , in accordance with law, without being influenced by order dated 26.12.2016, within a period of four weeks from today and till then the impugned order shall be kept in abeyance and in case the appellant has been relieved then he would not be posted on the same place for a period of four weeks from today.

7/ उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8.6.2017 व्दारा श्री समर सिंह परमार के अभ्यावेदन दिनांक 30.10.2016 में सुनवाई उपरांत पारित आदेश दिनांक 26.12.2016 की कंडिका–3 में स्पष्टता लाते हुए विभाग व्दारा दिनांक 8.6.2017 को संशोधन आदेश जारी किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि दिनांक 19.12.2016 को संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं अनुभाग अधिकारी के समक्ष सक्षम अधिकारी सचिव,वित्त व्दारा ही सुनवाई की गई थी। अतः न्यायालय में दायर डब्ल्यू.ए. 76/2017 में श्री परमार व्दारा उठाये गये बिन्दुओं तथा माननीय न्यायालय व्दारा पारित आदेश का पालन

हो जाता है। इसी प्रकरण में श्री समर सिंह परमार को विभागीय ज्ञाप दिनांक 27.7.2017 एवं 30.8.2017 व्दारा उनकी वर्तमान पदस्थापना स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल होने से उन्हें प्रकोष्ठ भोपाल में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे परंतु उनके व्दारा उपस्थिति दर्ज न करते हुए शासन आदेशों का पालन नहीं किया गया है।

8/ फिर भी श्री समर सिंह परमार व्दारा अपने आवेदन दिनांक 18.9.2017 व्दारा समक्ष में सुनवाई हेतु निवेदन किया गया है। मानवीय आधार के दृष्टिकोण से श्री समर सिंह परमार को समक्ष में सुनवाई हेतु दिनांक 18.9.2017 को ही मौका दिया गया। सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव,वित्त श्री अनिरूद्ध मुकर्जी माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री नितिन नादगांवकर एवं उप सचिव,वित्त श्री मनोज कुमार जैन उपस्थित रहे।

9/ श्री परमार व्दारा दिनांक 18.9.2017 को प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेख किया है कि मेरी पारिवारिक स्थिति में एवं माताजी के स्वास्थ्य को देखते हुए पूर्व में प्रस्तुत पत्र दिनांक 30.10.2016 के आलौच्य में मेरी पदस्थापना क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन में यथावत या इंदौर में करने का कष्ट करे। श्री समर सिंह परमार व्दारा समक्ष में उनकी माताजी के स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेजों के अनुसार उनकी देखभाल हेतु उनके निकट रहने की आवश्यकता को उजागर किया है। श्री परमार की माताजी इंदौर में निवास करती है एवं वही पर उनका इलाज भी चल रहा है। श्री समर सिंह परमार व्दारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने पर एवं मानवीय दृष्टिकोण से उनकी माताजी के निकट पदस्थ रखना विचारणीय है।

10/ शासन की यह अवधारणा होती है कि शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों व्दारा उन्हें सौपे गये दायित्वों का निर्वहन वे पूर्ण निष्ठा से करें न कि अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखकर कर्तव्यों की अनदेखी कर अनावश्यक वाद दायर करके शासन एवं स्वयं के समय को नष्ट करें।

श्री परमार के दृष्टिकोण एवं राज्य शासन के दृष्टिकोण के तहत् प्रस्तुत अभ्यावेदन पर पुनर्विचार किया जाकर उनकी पदस्थापना मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर में प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं सौपते हुए उप संचालक,वित्त के पद पर पदस्थ करने का निर्णय एतद् व्दारा लिया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग
भोपाल,दिनांक 18 /9/2017

पृष्ठांकन क्र.एफ–1(सी)/30/2016/ई/चार,

प्रतिलिपि :–

1. माननीय वित्त मंत्री जी के विशेष सहायक,
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर,
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,वित्त के निज सहायक,
4. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा,म.प्र.ग्वालियर/प्रकोष्ठ,भोपाल,
5. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय,स्थानीय निधि संपरीक्षा,उज्जैन/इंदौर
6. श्री अनिल गर्ग,संयुक्त संचालक,क्षेत्रीय कार्यालय,स्थानीय निधि संपरीक्षा,भोपाल एवं प्रकरण के संपर्क अधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. श्री समर सिंह परमार,उप संचालक,क्षेत्रीय कार्यालय,स्थानीय निधि संपरीक्षा, प्रकोष्ठ- भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विजय कठाने)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग